हुक्म या

15/02/23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०।
विपक्षीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त होने के बावजूद भी कोई उप० नहीं हुआ अत: उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। पत्रावली वास्ते बहस हेतु आईन्दा दिनांक 8/3/23 को पेश हो।

8/3/23 अधिवक्तागण हड़ताल मे होने के कारण पत्रावली आईन्दा दिनांक 3/4/23 को पेश हो।

3/4/23 दिनांक 3/4/23 को राजकीय अवकाश होने के कारण पत्रावली आईन्दा दिनांक 10/4/23 को पेश हो।

10/4/23 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दीगर कार्यों मे व्यस्त है, मिसल इत्तबा होकर पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 12/4/23 को पेश हो।

12/4/23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० विपक्षीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त होने के बावजूद कोई उप० नहीं हुआ अत: उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। प्रार्थी वकील ने बहस सुनने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी वकील का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है अत: नेत्थबंदी निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर ~~सत्र~~ दाखिल दफ्तर हो। [illegible] हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 218/2022 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

मूलसिंह वगैरा बनाम पदमाराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी –श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रार्थी वकील – श्री बाबुलाल विश्नोई

निर्णय दिनांक – 12/04/23

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र बामड़ला भू.अ.नि. क्षेत्र बामड़ला के मौजा बामड़ला के खेत खसरा संख्या 67 रकबा 2.5819 हैक्टर, किस्म बारानी दोयम स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र बामड़ला भू.अ.नि. क्षेत्र बामड़ला के मौजा बामड़ला के खेत खसरा संख्या 67 रकबा 2.5819 हैक्टर, किस्म बारानी दोयम किस्म बारानी दोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरें की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/04/23 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा